उत्तर प्रदेश राज्य के लिए लोगों का एजेंडा

एक हरित एवं समावेशी अर्थव्यवस्था की कल्पना

सर्वाधिक आबादी वाला राज्य

आकार में चौथा सबसे बड़ा राज्य (7.3 प्रतिशत)

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (8 प्रतिशत)

Data Source: Census 2011

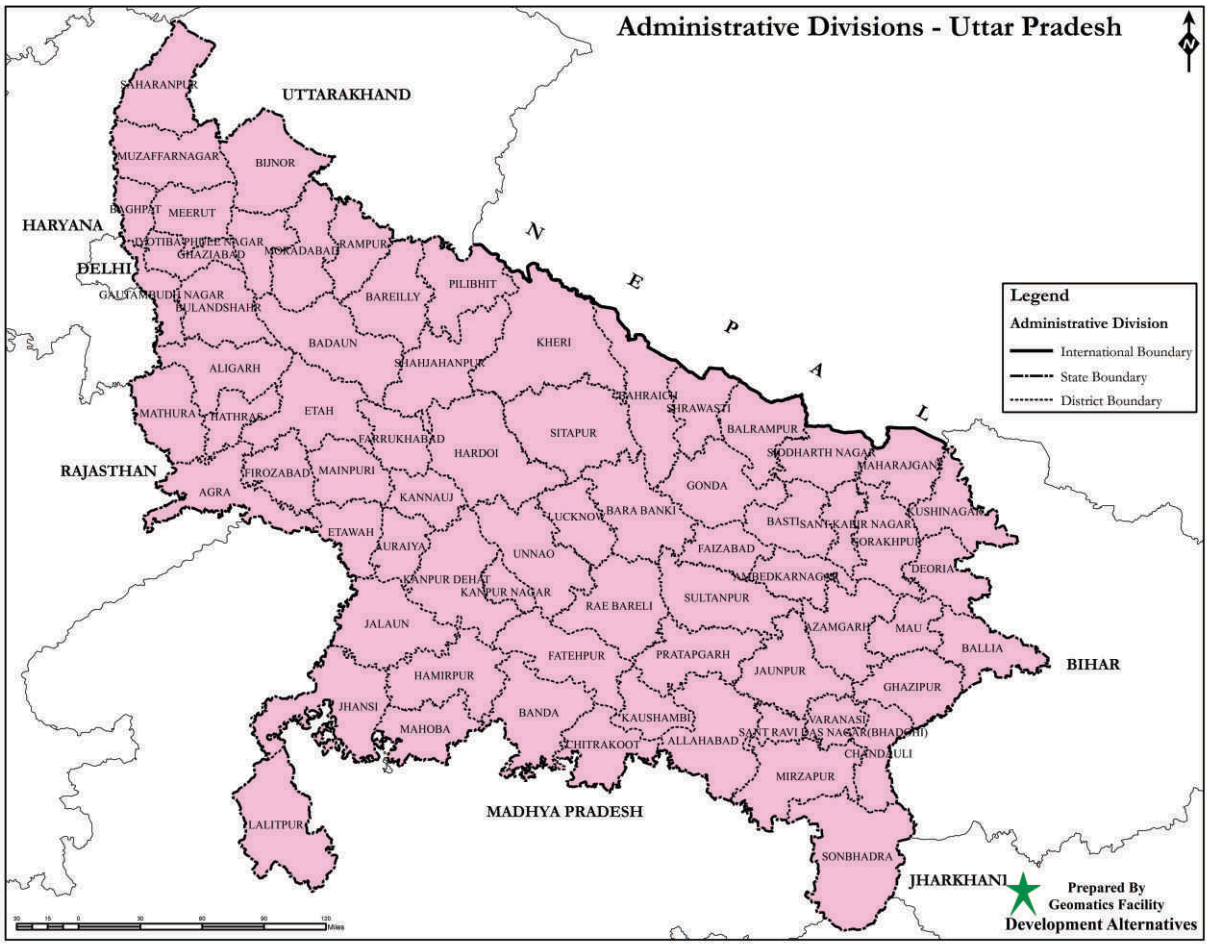

उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक मानचित्र

उत्तर प्रदेश के लोग यथास्थिति के मुकाबले ज्यादा बेहतर जीवन परिस्थितियों के हकदार हैं

- शिशु मृत्यु दर : प्रति 1000 जीवित प्रसवों पर 48, राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रतिशत।[1]
- खून की कमी (एनीमिया) से पीड़ित बच्चों (6–59 महीना आयु) और गर्भवती महिलाओं की संख्या क्रमशः 85 प्रतिशत और 52 प्रतिशत है।[2]
- गांवों में केवल 20 प्रतिशत और शहरों में केवल 52 प्रतिशत परिवारों के पास पाइप से पानी की आपूर्ति आती है।[3]
- 5–14 वर्ष आयु वर्ग की सबसे ज्यादा आबादी है, मगर शिक्षक प्रति बच्चा अनुपात सबसे कम है।[4]
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की सबसे अधिक घटनाएं, सबसे कम लैंगिंक अनुपात वाले राज्यों और लैंगिंक अपराध की सबसे अधिक घटनाओं वाले राज्यों में से एक है।[5]

उत्तर प्रदेश में पर्यावरणीय प्रदर्शन का स्तर बेहद दयनीय है जो उसकी वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए एक खतरा है

- दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से चौथे नंबर में है[6]
- भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 14 प्रतिशत योगदान[7]
- उत्तर प्रदेश के 75 में से 33 जिलों में 'भूमिगत पानी का अतिदोहन'[8]
- चमड़े के कारखानों द्वारा गंगा में हर रोज 10 करोड़ लीटर से ज्यादा गंदा पानी बहाया जा रहा है[9]
- जंगल एवं पेड़ों का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का केवल 9 प्रतिशत है जबकि लक्ष्य 33 प्रतिशत तय किया गया है[10]
- देश भर में ठोस कचरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य[11]

उत्तर प्रदेश के लिए सतत् विकास

उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के जरिए यहां के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए और पर्यावरण की भी रक्षा की जानी चाहिए।

कृषि नीतियों के तहत उत्पादन समाधानों में स्थायित्व, मूल्य संवर्धन और बाजार से जोड़ने पर अनिवार्य रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि 2022 तक छोटे किसानों की आमदनी दुगुनी की जा सके।

- विभेदीकरण, उर्वरकों के बेहतर इस्तेमाल, जल संसाधनों के प्रबंधन (जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई आदि) पर आधारित सतत् उत्पादन व्यवस्था जिसमें किफायती तकनीक का इस्तेमाल किया जाए ताकि छोटे किसानों के लिए भी खेती लाभदायक हो। कृषि पद्धतियों के देशी ज्ञान का दस्तावेजीकरण और प्रोत्साहन होना चाहिए।

- कृषि मार्केटिंग में किफायत और मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए छोटे किसानों के समूह बनाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार को नाबार्ड जैसे संस्थानों की सहायता से ऐसे कृषि संस्थानों को संगठित और विकसित करने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। विश्वसनीय और स्थिर वित्त व्यवस्था के माध्यम से कृषक संगठनों एवं सूक्ष्म उद्यमियों को सस्ती दर पर ऋण मुहैया कराने की व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है।

राज्य में विकसित हो रहे एमएसएमई क्लस्टर्स का हरितीकरण एवं विकास उत्तर प्रदेश की विनिर्माण नीति के लिए केंद्रीय बिंदु होना चाहिए। यह स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है।

- भरोसेमंद, किफायती, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था करना उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को बिजली मुहैया कराने के लिए तथा स्थानीय स्तर पर उद्यमशीलता के अवसर और रोजगार पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए। पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा नीति, लघु ग्रिड नीति जैसी सभी नीतियों में समन्वय रखते हुए उनको तेजी से क्रियान्वियत किया जाना चाहिए।
- सरकार को राज्य की युवा आबादी के कौशलों में निवेश करना चाहिए ताकि सामाजिक एवं हरित उद्यमशीलता अवसरों को सींचा जा सके और राज्य के एमएसएमई क्लस्टर्स के विकास को सहायता दी जा सके।
- उत्तर प्रदेश सरकार को हैंडीक्राफ्ट्स, कालीन, चिकन और अन्य एमएसएमई उद्यमों में निवेश पर उत्प्रेरक देने चाहिए और उन्हें बड़े स्थानीय व वैश्विक बाजारों से जोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन उत्पादक इकाइयों में सम्मानजनक आजीविका एवं हरित तकनीक के प्रसार पर भी विशेष रूप से जोर देना चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति को बुनयादी जरूरतों, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच मिले। सरकार को लिंग, जाति और धर्म के आधार पर फैली असमानताओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के पास आधारभूत आवास सुविधा होनी चाहिए तथा लोक सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए हरित, किफायती एवं सतत् बुनियादी ढांचा भी विकसित किया जाना चाहिए।

- माइक्रो कॉन्क्रीट रूफ टाइल्स, फ्लाई ऐश ब्रिक, ब्रिक टाइल आर्क पैनल, कम्प्रेस्ड स्टेबिलाइज्ड अर्थ ब्लॉक (सीएसईबी) जैसी हरित निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन व उत्प्रेरक दिए जाने चाहिए। ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन हैं और इनसे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।
- सरकार को उचित एवं किफायती निर्माण सामग्री एवं निर्माण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दिखाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस क्रम में घरों के डिजाइन, समेकित जल, स्वच्छता एवं ऊर्जा व्यवस्था और आवासीय खंडों के एकीकरण को करके दिखाया जाना चाहिए।

पंचायती राज संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। अभिशासन एवं राजकीय योजना प्रक्रियाओं में विकेंद्रीकृत जिला स्तरीय नियोजन को केंद्र में रखा जाना चाहिए।

- स्थानीय अभिशासन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को दीर्घकालिक विजन, आकलन एवं नियोजन क्षमताएं प्रदान की जानी चाहिए।
- उत्तम अभिशासन के लिए सामुदायिक जागरूकता, जुड़ाव एवं अभिशासन प्रक्रिया में स्वामित्व का बोध अनिवार्य है और सरकार को इन प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश को स्वयं सहायता समूहों के विशाल नेटवर्क में निवेश करना चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक समावेश का लाभ और उद्यमशीलता के लिए ऋण सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

राज्य की वर्तमान एवं भावी आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य की वायु, भूमि एवं जल व्यवस्थाओं का संरक्षण एवं प्रबंधन किया जाना चाहिए। सरकार को सभी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका पर अंकुश की व्यवस्थाओं को समेकित करना चाहिए।

- सरकार को हरित परिधियां बनानी चाहिएं, हरित कॉरीडोर विकसित करने चाहिए ताकि एक स्वस्थ ईकोसिस्टम विकसित किया जा सके, हरित सार्वजनिक स्थान विकसित किए जा सकें और प्राकृतिक संपदाओं को पुनर्जीवित किया जा सके। सरकार को राज्य में 33 प्रतिशत वन क्षेत्र विकसित करने के लिए एक रोडमैप भी तैयार करना चाहिए।
- नदी व्यवस्थाओं में उपचार रहित नालों का पानी छोड़ने पर पूरी पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। सभी शहरों और कस्बों में समुचित ठोस कचरा प्रबंधन व्यवस्था और नदियों में कचरा फेंकने पर पूरी पाबंदी होनी चाहिए। कचरे की रीसाइक्लिंग, छंटाई की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए और कचरे को जलाने पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए।
- सरकार को भूमि नियोजन में निवेश करना चाहिए जो कि संसाधनों के कुशल, उत्पादनशील एवं सतत् प्रयोग के लिए अनिवार्य हैं।
- सरकार को राज्य की झीलों, नदियों व तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाने चाहिए और भूमिगत पानी के गिरते स्तर को रोकने के लिए वर्षा जल संरक्षण की पद्धतियों को लागू करना चाहिए।

यह एजेंडा निम्न के सहयोग से तैयार हुआ है:

1. Planning commission of Uttar Pradesh, *Annual Plan 2016-2017* (2016).
2. Planning commission of Uttar Pradesh, *Annual Plan 2016-2017* (2016).
3. Ministry of Drinking Water and Sanitation, *GoI. Press Information Bureau, Access to Potable Water* (2013).
4. Khushboo Balani, *Uttar Pradesh has India's largest population of children, but least teachers per student* (2017).
5. PTI, *UP records highest number of Scheduled Caste atrocity cases* (2016).
6. Mallica Joshi, *Half of world's 20 most polluted cities in India, Delhi in 11th position* (2016).
7. Government of Uttar Pradesh, *State Action plan on climate change* (2014).
8. Aditya Dev, *Groundwater Overexploited in 33 of 75 UP Districts* (2016).
9. Dhrubo Jyoti and Umesh Raghuvanshi, Saving the Ganga is not an election issue in UP, *Hindustan Times* (2016).
10. ENVIS Centre: *Uttar Pradesh, Department of Planning, Uttar Pradesh* (Annual Plan 2014-2015).
11. Chaitanya Mallapur, *India's real trash problem: 3 million truckloads of untreated garbage disposed daily* (2015).

Development Alternatives

World Headquarters
B-32, Tara Crescent, Qutub Institutional Area
New Delhi 110 016, India
Tel: +91 11 2654 4100, 2656 4444, Fax: +91 11 2685 1158
Email: mail@devalt.org, Website: www.devalt.org